

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू



पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 48/2019

1. घोघडी आयु 60 साल पत्नी स्व झब्लाराम, जाति गुर्जर, निवासी नांगलिया गुजरवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
2. मोहनलाल आयु 25 साल पुत्र स्व झब्लाराम जाति गुर्जर, निवासी नांगलिया गुजरवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
3. सुनिता आयु 40 साल पुत्री स्व झब्लाराम पत्नी प्रेम जाति गुर्जर, निवासी नांगलिया गुजरवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

—बनाम—

—अपीलार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम झब्लाराम अंधारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 13/2018 निर्णय दिनांक 30.07.2018

उपस्थिति:-

1. श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट ————— अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट ————— रेस्पोंडेन्ट की ओर से ।

—निर्णय—

दिनांक 29.7.2019

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.7.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम झब्लाराम मु0नं0 15/2018 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि—अदालत मातहत ने अपीलांट को जमीन खसरा नंबर 802 किस्म गैर मु0 बणी सरहद मौजा नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी में 500 वर्ग मीट भूमि पर मकान बना होना मानकर बेदखल करने व 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय खिलाफ कानून होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांट का विवादग्रस्त भूमि पर उसके पिता के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। सन 1997 में अपीलांट्स 1 व 3 के पिता हनुमान के खिलाफ धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार के यहां कार्यवाही शुरू की थी, उसमें अदालत ने अपीलांट के पिता की अपील स्वीकार फरमाते हुए आवंटन नियमन सलाहकार समिति के समक्ष पत्रावली प्रेषित करते हुये धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप की थी, इसलिए अपीलांट का पुराना कब्जा होते हुये भी बेदखली का आदेश विरुद्ध कानून होने से निरस्त होने योग्य

के
अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

है। इसी तरह से अपीलांट के पिता के खिलाफ न्यायालय नायब तहसीलदार ने दिनांक 07.12.1995 को मिसल 369/95 में कार्यवाही डोप करते हुये नियमन हेतु सिफारिश की गई थी और 1992 में भी तहसीलदार खेतड़ी द्वारा इसी प्रकार नियमन की सिफारिश की गयी थी। इस प्रकार विवादित भूमि पर अपीलांट का पीढियों से पुराना कब्जा होना साबित है। लेकिन इसके बावजूद भी हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त बेदखली का आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। उक्त निर्णय से पूर्व ही विचारण न्यायालय के समक्ष इब्लाराम 4 का देहान दिनांक 6.5.2018 को हो चुका था। मृतक के विरुद्ध पारित निर्णय विधि की संज्ञा में शून्य है। मृतक के वारिसान 3/1 लगायत 3/3 है जब कि एक पुत्र हंसराज भारतीय सेना में कार्यरत होने से उक्त अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा सका। विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 30.7.2018 विधि विरुद्ध एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 30.7.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- विवादित भूमि पर अपीलांट के पिता के समय से काफी वर्षों पुराना कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि के संबंध में पूर्व में न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा निर्णय दिनांक 03.7.97 मुकदमा संख्या 234/91 एवं नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा मिसल 369/95 में दिनांक 07.12.1995 को अपीलांट के पिता के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधि0 1956 की कार्यवाही डोप की गई है। कानूनन एक बार कार्यवाही डोप होने के बाद उसी भूमि को लेकर पुन धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। अपीलांट को राजनैतिक कारणों से उसी भूमि के संबंध में बार-बार धारा 91 एल0आर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर विधि विरुद्ध आदेश पारित कर परेशान किया जा रहा है। विवादित भूमि नियमन योग्य है और पूर्व में विभिन्न न्यायालयों से नियमन की सिफारिश हो चुकी है, इसके बावजूद भी तहसीलदार खेतड़ी द्वारा नियमन की कार्यवाही नहीं की जाकर हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांट का कब्जा नियमन योग्य है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2018 को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्टस द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 802 के रकबा 500 वर्ग मीटर में पक्के मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस

40
अति. जिला कलेक्टर
झुझनू

पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है और अभी तक नियमन नहीं हुआ है। अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है। लेकिन अपीलान्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब नोटिस के साथ इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा पुराना एवं वैध साबित होता हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 30.07.2018 उनवानी सरकार बनाम झबलाराम मु0नं0 15/2018 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



48
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भुवनेश्वर

निर्णय आज दिनांक 29.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

49
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,